न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 –210/2019

अनवान : –

1. राजाराम पुत्र सुलतान कौम खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. कालुराम पुत्र सुलतान कौम खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. सुलतान पुत्र दौतलाराम कौम खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. बेदो पुत्री सुलतान पत्नी महेन्द्रसिंह जाति खाती निवासी हाल ढाणी मोहब्बतपुर तहसील आदमपुर व जिला हिसार।
3. मैना पुत्री सुलतान पत्नी रामसिंह कौम खाती हाल निवासी मलसीसर तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– कपूरचन्द शर्मा **वादी**
श्री सुरेन्द्र बैनिवाल **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 03/03/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 डीपीएन के खाता सं 107/110 कि मु0 न0 21 के किला न0 19/1, 20, 21 की कुल 0.5690है0 कृषी भूमि जिसमें से नहरी .5430 है0 व गैरमुमकिन रास्ता 0.0260 है0 व इसी चक के खाता सं 108/111 के मु0 न0 25 के किला न0 15 ता 25 व मु0 न0 30 के किला न0 1 ता 10 की कुल 5.3130 है0 तथा चक 2 बारानी के खाता सं 55/51 के मु0 न0 19 के किला न0 21, 22 व मु0 न0 38 के किला न0 2/1 की कुल 0.290 है0 कृषी भूमि जो प्रतिवादी सं 1 सुलतान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है। उपर वर्णित कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि पहले वादी के दादा दौलताराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। दौलताराम के देहान्त के बाद वाद भूमि विरासतन प्रतिवादी सं 1 सुलतान के नाम दर्ज हो गई। वाद भूमि पैत्रक एवं दादालाई सम्पति है अतः वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के काश्तकार है। वाद भूमि महज कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं 1 सुलतान के नाम विरासतन दर्ज हो गई। वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादीगण के हकों पर

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

विपरित प्रभाव पड़ रहा है। वादीगण को अपने हकों की घोषणा कराने का कानूनी अधिकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी राजाराम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी खचवाना के साक्ष्य करवाये गये । साक्ष्यवादी में जमाबंदी चक 5 डीपीएन सवत 2071–74 प्रदर्श 1 जमाबंदी चक 2 बारानी प्रदर्श 2 जमाबंदी भूमि एकीकरण खतौनी प्रदर्श 3 जमांबदी भू प्रबंधक विभाग प्रदर्श 4 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवायें।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा चक 5 डीपीएन के खाता सं 107/110 कि मु0 न0 21 के किला न0 19/1, 20, 21 की कुल 0.5690है0 कृषी भूमि जिसमें से नहरी .5430 है0 व गैरमुमकिन रास्ता 0.0260 है0 व इसी चक के खाता सं 108/111 के मु0 न0 25 के किला न0 15 ता 25 व मु0 न0 30 के किला न0 1 ता 10 की कुल 5.3130 है0 तथा चक 2 बारानी के खाता सं 55/51 के मु0 न0 19 के किला न0 21, 22 व मु0 न0 38 के किला न0 2/1 की कुल 0.290 है0 कृषी भूमि जो प्रतिवादी सं 1 सुलतान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। परन्तु प्रतिवादी सं 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। अतः वाद भूमि में प्रतिवादी सं 1 का नाम कलमजन कर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 डीपीएन के खाता सं 107/110 कि मु0 न0 21 के किला न0 19/1, 20, 21 की कुल 0.5690है0 कृषी भूमि जिसमें से नहरी .5430 है0 व गैरमुमकिन रास्ता 0.0260 है0 व इसी चक के खाता सं 108/111 के मु0 न0 25 के किला न0 15 ता 25 व मु0 न0 30 के किला न0 1 ता 10 की कुल 5.3130 है0 तथा चक 2 बारानी के खाता सं 55/51 के मु0 न0 19 के किला न0 21, 22 व मु0 न0 38 के किला न0 2/1 की कुल 0.290 है0 कृषी भूमि जो प्रतिवादी सं 1 सुलतान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

है। में प्रतिवादी सं 1 सुलतान का नाम कलमजन कर वादी सं 1 राजाराम व वादी सं 2 कालुराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंयजीन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3/3/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ